बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

श्री चैतन्य प्रसाद प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2016 को राज्य के RSETI निदेशकों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– संलग्न विवरणी के अनुसार।

कार्यवाही–

1. **बैठक के मुख्य उद्धेश्यः–** दीनदयाल अन्तयोदय योजना के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत RSETI की भुमिका एवं भविष्य की योजना।
2. **DAY-NULM के विभिन्न घटकों में स्वरोजगार की संभावनाएँ :–** DAY-NULM के विभिन्न घटकों यथाः सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास, पथ विक्रेता तथा कौशल एवं सर्वद्धन योजना में स्वरोजगार की असीम संभावनाएँ है।
3. **RSETI निदेशकों का विचार एवं सुझावः–**
   - **प्रशिक्षण लागतः–** लाभार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण पर रु 200 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च निर्धारित है।
   - **प्रशिक्षण की अवधिः–** प्रशिक्षण की अवधि कम से कम छः दिन निर्धारित है तथा प्रति बैच 30–35 लाभार्थी शामिल किये जाते है। विशेष परिस्थिति में एक साथ दो बैच चलाये जा सकते है।
   - **प्रशिक्षणोपरान्त लाभार्थियों का अनुश्रवणः–** RSETI निदेशकों ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण के उपरान्त दो बर्ष तक प्रशिक्षुओ का अनुश्रवण किया जाता है। उनके स्वरोजगार तथा बैंक लिंकेज के व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

   उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में RSETI का NRLM के तहत प्रशिक्षण से संबधित दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएं और उस अनुरूप DAY NULM के तहत मार्गदशिका शीघ्र ही तैयार कर निकायों को सूचित किया जाए, जिससे सभी नगर निकायों में समान एवं सुचारू रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम अविलम्ब शुरू किया जा सके।

4. **राष्ट्रीय स्तर पर सर्म्पकः–** RSETI निदेंशकों द्रारा यह बताया गया कि प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सर्म्पक किया जाए, ताकि जीविका के तर्ज पर NULM प्रतिभागियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिचित किया जा सके, साथ ही राज्य स्तर पर सभी संबंधित जिला पदाधिकारी एवं SLBC संयोजक को भी पत्र विभाग के द्रारा निर्गत किया जायगा तो प्रशिक्षण कराने में सहुलियत होगी।इस संबंध में पत्र निर्गत करने का आश्वासन दिया गया।
5. **प्रशिक्षण पर हुए खर्च का भुगतानः–** त्रैमासिक आधार पर प्रशिक्षण पर हुए खर्च का भुगतान ULB के द्रारा किया जायगा, क्योकि NULM के द्रारा प्रशिक्षण खर्च की राशि ULB को अदा कर दिया जाता है।
6. **पथ विक्रेता हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करनाः–** अधोहस्ताक्षरी ने सुझाव दिया कि फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर Street vendor को प्रशिक्षित कर उनकें रोजगार को बढावा दिया जाना चाहिये। इस संबंध में RSETI के प्रतिनिधियों द्रारा बताया गया कि सामान्य EDP के आलावा उनके यहॉ Street vendor हेतु कोई विशेष रूप से प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है। इस हेतु मॉड्यूल बनाकर उसकी अनुमति लेनी चाहिए। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी ने कहा कि PMC संबंधित ऐजेन्सी NASVI से सहयोग लेते हुए RSETI पटना के साथ संर्पक कर प्रशिक्षण मॉड्यल बनाना सुनिश्चित करे।
7. **प्रशिक्षण कैलेंडरः–** प्रत्येक ULB के संबंधित CMMU RSETI निदेशकों के साथ सम्पर्क कर प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करेगें ताकि तदनुसार प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो सके।

8. <u>लाभार्थियों की योग्यताः–</u> नियमतः लाभार्थियों की आधारभूत योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है। अत सारे लाभार्थी प्रशिक्षण के लिये पात्र है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः– PMC-NULM/001/SEP-Comm./2015-16/........ दिनांक...................

प्रतिलिपिः– अपर सचिव–सह–निदेशक, बूडा/उप निदेशक, बूडा/संयोजक बिहार राज्य स्तरीय बैकर्स समिति भारतीय स्टेट बैंक, पटना/सभी RSETI निदेशक, बिहार/टीम लीडर PMC-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,